

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1955
द्वारा:- मान. विधायक श्री मनोज निमेषसि पटेल

// पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल //

क्रमांक / पु0मु0 / 3 / कार्मिक / 4 / 1164 / 16, दिनांक 17/2/16
प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त पुलिस अधीक्षक(रेल),
समस्त पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण शाला,
मध्यप्रदेश।

विषय:- पुलिस कर्मचारियों को गृह जिले में पदस्थ न करने के संबंध में।

पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कर्मियों की गृह जिले में पदस्थापना न करने के निर्देश दिये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि विभिन्न स्तरों के पुलिस कर्मियों की पदस्थापना गृह जिले की अन्य शाखाओं जैसे अजाक, जिला विशेष शाखा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि में कर दी जाती है।

इस संबंध में आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सभी स्तर के पुलिस कर्मचारियों के स्थानांतरण गृह जिले में न किये जायें, चाहे वह जिला बल में हो अथवा गैर जिला बल में।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / पु0मु0 / 3 / कार्मिक / 4 / 1164 / 16, दिनांक 17/2/16

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल।
- 2- समस्त अति. पुलिस महानिदेशक, म.प्र.।
- 3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
- 4- समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, म.प्र.।

पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

13/2/16

अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
भोपाल